



कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट



सोनभद्र— (उ0प्र0)

फ़ोन: 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

, 2021

पत्रांक— १५८७ /रेनुकूट/ 15- 38 दिनांक, रेनुकूट, नवम्बर, १७

सेवा मे

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर ईत्र
मीरजापुर।

पितृय—

जगनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेक्टेएक्ट वन भूमि के लीज नवीनीकरण संबंध मे।

शिवरं—

- 1—अनु सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 लखनऊ का पत्र संख्या— 1653/81-2-2021-79/91 दिनांक— 08.10.2021
- 2—मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या— 1413/11-सी— FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक— 29.10.2021
- 3—आपका पत्रांक— 2083/गी०/33 दिनांक— 01.11.2021

महोदय:

विषयगत प्रकरण मे संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण मे उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक— 08.10.2021 द्वारा गोंगी गयी वाढ़ित सूचना टेलिकॉम मे निम्नानुसार अवलोकन एवं संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

| क्र० | अनु सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2 लखनऊ का पत्र संख्या— 1653/81-2-2021-79/91 दिनांक— 08.10.2021 मे अंकित विवरण |
|------|--|
| स० | |

अनुपालन आख्या

| 1 | 2 |
|---|--|
| | यन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेक्टेएक्ट वन भूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि कब से कब तक प्रस्तावित है? |

3

इस विन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेक्टेएक्ट वन भूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि 20 वर्ष (दिनांक— 22.12.2019 से 21.12.2039 तक) हेतु प्रस्तावित है।

महादीप

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या— अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, ककरी परियोजना, ककरी—सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आराग से प्रेषित कि प्रकरण मे उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित रखते हुए 185.84 हेक्टेएक्ट वन भूमि के नवीनीकरण कराने के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करने का ऋष्ट करें।

(मन मोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक—२३०६ /मी०क्ष०/३३/मीरजापुर, दिनांक, नवम्बर, १७ २०२१
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्ययः— जनपद—सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लिंग की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 165.4 हेक्टर आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः १— अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—२ का पत्र संख्या—१६५३/८१—२—२०२१—७९/९१ दिन ०८.१०.२०२१
२—आपका पत्र संख्या १४१३/११—सी—FP/UP/MIN/२९०६/२०१७ दिनांक—२९.१०.२०२१

महोदयः

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या—१५६८/रेनुकूट/१५—३८ दिनांक १७.११.२०२१ (छाया प्रति संलग्न) द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है—

| | | |
|----------|---|--|
| क्र० सं० | अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या—१६५३/८१—२—२०२१—७९/९१ दिनांक ०८.१०.२०२१ | अनुपालन आख्या |
| १ | १ वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अंतर्गत रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लिंग की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेक्टर आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि कब से कब तक प्रस्तावित है? | ३ इस विन्दू के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि नार्दन कोल फील्ड्स लिंग की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेक्टर आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण की अवधि २० वर्ष (दिनांक— २२.१२.२०१९ से २१.१२.२०३९ तक) हेतु प्रस्तावित है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या एदवसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

नवदीय

(रमेश चन्द्र जा.)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या—२३०६, /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक—१५६८/रेनुकूट/१५—३८ दिनांक १७.११.२०२१ के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र जा.)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर